नवीन पु० = 416/2012

समक्ष माननीय अध्यक्ष म0 प्र0 राजस्व मण्डल सर्किट कैम्प भोपाल

प्रकरण क्र. /निगरानी/12
R – 416 – PBR/2012

1.देवी प्रसाद आ0 श्री गजाधर प्रसाद
2.भगवती प्रसाद आ0 श्री देवीप्रसाद शर्मा
निवासीगण ग्राम भौरासा तहसील कुरवाई
जिला विदिशा म0प्र0

.....आवेदकगण

विरूद्ध

1.राजकुमार आ0 स्व0श्री नर्वदा प्रसाद
2.लाखन आ0 स्व0श्री नर्वदा प्रसाद
निवासीगण ग्राम भौरासा तहसील कुरवाई
जिला विदिशा म0प्र0

........अनावेदकगण

म.प्र. भू राजस्व संहिता की धारा 50 के अन्तर्गत निगरानी

माननीय महोदय,

आवेदकगण विद्वान अनुविभागीय अधिकारी तहसील कुरवाई जिला विदिशा द्वारा उनके प्रकरण क्र041/अपील/2010-11 में पारित आदेश दिनांक 30/12/11 से असन्तुष्ट एवं दुःखी होकर यह निगरानी माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर रहे है ।

:: प्रकरण के तथ्य ::

संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम करमपुर तहसील कुरवाई जिला विदिशा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 32 रकबा 0.491 हैक्टयर एवं सर्वे क्र033 रकबा 2.508 हैक्टयर भूमि राजस्व रिकार्ड में आवेदक क्र0 1, जानकीबाई एवं नर्वदाप्रसाद के नाम पर राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी । वर्ष 1987 में नर्वदाप्रसाद गम्भीर रूप से बीमार हो गये थे । बीमारी की अवस्था में भी अनावेदकगण तथा उनकी मां नर्वदा प्रसाद के साथ मारपीट करते थे जब नर्वदा प्रसाद की स्थिति गम्भीर हो गई तो उनकी पत्नी शीलाबाई अपने पुत्रो अनावेदकगण को लेकर अपने मायके चली गयी । तबसे निरन्तर आवेदकगण द्वारा ही नर्वदा प्रसाद की देखभाल एवं सेवा की गयी । वर्ष 1995 में नर्वदाप्रसाद द्वारा अपने हिस्से कि भूमि की

...2

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक R-416-PBR/12

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
03-04-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को जिला कलेक्टर के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	